<u>परिचय</u>

1. महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण की स्थापना
2. प्राधिकरण का चार्टर
3. परामर्शदात्री प्रक्रिया
4. प्राधिकरण के आदेश
5. शिकायत निवारण
6. संगठन ढांचा

1. <u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टैम्प) की स्थापना</u>

महापत्तन न्यासें और उधर स्थित प्राइवेट प्रचालकों के लिए संपत्तियों के पट्‌टे की दरें तथा दोनों कोर्गो संबंधित और पोत संबंधित सभी प्रशुल्कों को विनियमित करने हेतु, एक स्वतंत्र प्राधिकरण उपलब्ध करवाने के लिए, अप्रैल 1997 में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टीएएमपी) को गठित किया गया था। म.प्र.पा. के गठन करने के लिए, पत्तन विधियाँ (संशोधन) अधिनियम 1997 द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को संशोधित किया गया था।

2. <u>प्राधिकरण का चार्टर</u>

सिर्फ महापत्तन न्यासें तथा उधर के प्राइवेट टर्मिनलों पर ही इस प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार है। पत्तन न्यास की संपत्तियों के पट्टे की दरों तथा उनके द्वारा प्रदान की जानेवाली सुविधाओं एवं सेवाओं की दरों का निर्धारण करने के लिए वह जिम्मेदार है। यह प्राधिकरण दरों को ही नहीं परन्तु दरों के अनुप्रयोग को नियंत्रण करनेवाली शर्तों को भी अधिसूचित करने के लिए अधिकृत है।

3. <u>परामर्शदात्री प्रक्रिया</u>

प्राधिकरण का यह प्रयास है कि, कार्य करने के ढंग में उपयोक्ता-पूरक को मुख्यता प्रदान करना और उसके द्वारा उनके विचारों को उपकार करने के लिए संबद्ध सबको अभिप्रेरित करना है। अपने कार्यप्रणाली में सम्मिलित प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के

अनुरूप, उपयोक्ताओं को, अपने लाभ का प्रतिनिधित्व करने हेतु यथेष्ट मौका प्रदान करने के लिए विशेष ध्यान लिया जाता है। तदनुसार, पत्तन स्तर पर, उपयोक्ताओं के साथ सीधे तौर पर पारस्पारिक बैठकों को आयोजित किया जाता है। इसके अलावा, एकल प्रशुल्क मामलों में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने के पहले, स्वाभाविक न्याय के उद्देश्य से पत्तन स्तर पर संयुक्त-सुनवाइयाँ आयोजित की जाती हैं।

4. प्राधिकरण के आदेश

महापत्तन न्यास अधिनियम के अंतर्गत की जानेवाली प्राधिकरण की हर एक सूचना, घोषणा, आदेश और विनियम को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

5. शिकायत निवारण

प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित आदेश अंतिम हैं। इन आदेशों के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान प्रणाली में नहीं है। व्यथित पार्टी को निवारण हेतु उच्च न्यायालय में जाना होगा। तथापि, यह प्राधिकरण, अपवादी परिस्थितियों में आदेशों की समीक्षा भी लेती है। प्राधिकरण के आदेश को संशोधन करने का अथवा पत्तन के कीमत निर्धारण से संबंधित मामलो पर "नीति निर्देश" जारी करने का अधिकार संघ सरकार को है।

6. संगठन ढांचा

प्राधिकरण में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक अध्यक्ष और दो सदस्य सम्मिलित हैं।

वर्तमान में, प्राधिकरण का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

क्रमांक	नाम और ई-मेल	पदनाम	दूरभाष नंबर
1.	ब्रह्म दत्त (अतिरिक्त कार्यभार) chairman@tariffauthority.gov.in	अध्यक्ष	022-2379 2001
2.	अरविंद कुमार	सदस्य	011-2338 1204
3.	रिक्त	सदस्य	-
4.	सी. एस. वेंकटरामन secretary@tariffauthority.gov.in	सचिव	022-2379 2003
5.	रिक्त	निदेशक	-